९५
४.२५

संख्याः 617 /X-4-17/2(23)/2016

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
खनन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 देहरादूनः दिनांकः 22 सितम्बर, 2017

विषयः जनपद नैनीताल एवं उधमसिंहनगर के अंतर्गत बहने वाली नन्धौर एवं कैलाश नदियों से 468.00 हे0 वन भूमि में उप-खनिज चुगान हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम को 10 वर्षो की अवधि के लिये अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-964/FP/UK/MIN/20690/2016, दिनांक 14.09.2017 के कम में अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनपद नैनीताल एवं उधमसिंहनगर के अंतर्गत बहने वाली नन्धौर एवं कैलाश नदियों से 468.00 हे0 वन भूमि में उप-खनिज (रेता, बजरी, बोल्डर आदि) चुगान हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम/प्रयोक्ता एजेंसी को 10 वर्ष की लीज नवीनीकरण की विधिवत स्वीकृति आदेश संख्या-एफ0न0-8-34/2016 एफ सी दिनांक 06 सितम्बर, 2017 द्वारा निर्गत की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद नैनीताल एवं उधमसिंहनगर के अंतर्गत बहने वाली नन्धौर एवं कैलाश नदियों से 468.00 हे0 वन भूमि में उप-खनिज (रेता, बजरी, बोल्डर आदि) चुगान हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम/प्रयोक्ता एजेंसी को संगत नियमावली में निहित प्राविधानों के अंतर्गत 10 वर्ष हेतु नवीनीकरण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा निर्गत विधिवत स्वीकृति में पर्यावरण सुरक्षा एवं वन विकास की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अधिरोपित शर्तो एवं निम्नलिखित शर्तो के अधीन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता विभाग वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्वित भूमि का आर0सी0सी0 पिलर्स लगाकर सीमांकन करेगा। जिन पर फारवर्ड तथा बैंक बियरिंग भी अंकित किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
5. उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा प्रश्नगत् क्षेत्र में वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।
6. प्रश्नगत् क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए वन क्षेत्र के अन्दर किसी प्रकार की श्रमिक हट स्थापित नहीं किये जायेगे।
7. प्रस्तावित क्षेत्र में चुगान कार्य से पूर्व प्रवेश व निकासी मार्गो पर पर्याप्त संख्या में अस्थाई चैक पोस्ट स्थापित किये जायेंगे। निकासी किये जाने वाले उप-खनिजों के उचित अभिलेखों का रख-रखाव उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
8. प्रश्नगत् क्षेत्र के अन्तर्गत चुगान कार्य में किसी भी विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

9. उपखनिजों का चुगान नदी के मध्य में किया जायेगा तथा नदी के दोनों किनारों से नदी तल का 1/4 भाग छोड़ा जायेगा।
10. प्रश्नगत् क्षेत्र में उप–खनिज के चुगान का कार्य सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के बाद नहीं किया जायेगा।
11. बोल्डर तोड़ने का कार्य वन सीमा से बाहर किया जायेगा।
12. प्रश्नगत् क्षेत्र से उप–खनिज के चुगान का कार्य वर्षा ऋतु के दौरान (माह जुलाई से माह सितम्बर तक) नहीं किया जायेगा।
13. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की अवश्यकता न रहेगी, तो यथा स्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहें, मूल विभाग को किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
14. चुगान कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
15. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, चुगान किये गये जाने वाले भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
16. मा0 उच्चतम् न्यायालय/भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) कोष को स्थानान्तरित किया जायेगा।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
18. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा चुगान कार्य करते हुए एवं तदोपरान्त रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
19. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत् मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/ किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
20. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
21. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से चुगान कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
22. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चिन्हित स्थलों पर ही किया जायेगा व उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में पहाड़ों के ढ़लान से नीचे/नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा।
23. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मलवा निस्तारण एवं चुगान कार्य स्थलों से सटे रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गयी धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित कर दिया गया है।
24. वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा गठित/गठित की जाने वाली "खनन शर्त अनुपालन अनुश्रवण समिति" निर्धारित नियमावली/प्रक्रिया अनुसार चुगान कार्य की अनुश्रवण एवं समीक्षा रिपोर्ट/प्रमाण–पत्रों की प्रति वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।
25. प्रश्नगत् क्षेत्र हेतु वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा गठित/गठित की जाने वाली "स्पेशल परपस व्हीकल" में नियमानुसार निर्धारित देय धनराशि वन विकास निगम/प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करायी जायेगी जिसका व्यय तत्संबंधी आदेश में निहित गाईड लाईन के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
26. भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश संख्या–एफ0न0–8–34/2016 एफ सी दिनांक 06 सितम्बर, 2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों को अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

27. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असन्तोषजनक अनुपालन होने कि स्थिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

3— उक्त लीज नवीनीकरण की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ निर्गत की जा रही है कि यदि प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा निर्गत विधिवत स्वीकृति आदेश संख्या—एफ0न0—8—34/2016 एफ सी दिनांक 06 सितम्बर, 2017 की शर्त सं0—13 के अनुपालन में "स्पेशल परपस व्हीकल" एवं इसमें संचित रॉयल्टी/धनराशि के व्यय हेतु गाईड—लाईन, अनुश्रवण समिति का गठन न हुआ हो तो प्रबंध निदेशक, वन विकास निगम/प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून के माध्यम से शासन को शीघ्र प्रस्ताव उपलब्ध कराकर आगामी खनन सत्र से पूर्व गठन करा लिया जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार प्रश्नगत वन भूमि में उप खनिज(रेता, बजरी, बोल्डर आदि) चुगान की स्वीकृति का औपचारिक आदेश वन एवं पर्यावरण विभाग की शर्तों को सम्मिलित करते हुए निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हयांकी)
प्रभारी सचिव।

संख्याः 617 (1)/X-4-17/2(23)/2016, तददिनांकित्।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक(केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, उत्तराखण्ड शासन।
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड नैनीताल।
7. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/नैनीताल।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय/तराई पूर्वी/हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

(अरविन्द सिंह हयांकी)
प्रभारी सचिव।